प्रतिलिपि

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/406 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक– 07.10.2025

अनवान

1. चन्द्रप्रकाश पिता स्व.प्रभुलाल जी जाति सोनी आयु 35 वर्ष निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. देवनारायण पिता स्व.प्रभुलाल जी जाति सोनी आयु वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. सत्यनारायण पिता स्व.प्रभुलाल जी जाति सोनी आयु वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब खमनोर, जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

वादः– घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955)

उपस्थितः– श्री सुरेश खटीक, अधिवक्ता वादी।

प्रतिवादीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक–तरफा।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद अंतर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा गांव खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद में स्थित है जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

खाता संख्या नया 447 पुराना 418 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 2023 कुल किता 01 कुल रकबा 0–06 छः बिस्वा

उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार प्रभुलाल पिता रतनलाल सुनार के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि को वादी के पिता स्व. प्रभुलाल जी ने दिनांक 17.10.2011 को अंतिम इच्छा पत्र (वसीयतनामा) से वादी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया तब से उक्त कृषि भूमि पर वादी का स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर वादी निरन्तर बिना किसी विघ्न बाधा के उपयोग–उपभोग कर रहा है। वादी वसीयतनामे के आधार पर उक्त कृषि भूमि को अपने नाम पर घोषणा कराने का अधिकारी है तथा राजस्व रेकर्ड में भी इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उक्त कृषि भूमि में कोई विधिक हक व अधिकार निहित नहीं होने के उपरान्त भी वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा एवं अवरोध उत्पन्न करने पर उतारू है तथा वादी की आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अतिक्रमण एवं दखलअंदाजी करने पर उतारू होने से वादी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा जारी नहीं फरमाने पर पक्षकारान् के मध्य में व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढने की प्रबल संभावना है। वाद कारण दिनांक 18.06.2017 को गांव खमनोर में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादी की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अतिक्रमण करने लगे इस पर वादी ने मना किया तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मौके पर लडाई–झगडा करना प्रारंभ कर दिया। यही बिनाय मुखास्त वाद है।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें कि वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि को वादी के नाम पर घोषित फरमाई जावें एव तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती फरमाई जावें।

वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश नहीं करें, अतिक्रमण नहीं करें, दखलअंदाजी नहीं करें एवं वादी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा, रूकावट, अवरोध, हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करें तथा न किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें, न किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजूद सुचना अनुपस्थित। बार–बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा करने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। साक्ष्यवादी हेतु गवाह चन्द्रप्रकाश स्वंय उपस्थित होकर शपथ–पत्र Pw-1 पेश किया। शपथ–पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है, साक्ष्यवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है। वादी ने अपने वाद–पत्र में उक्त भूमि वादी के पिता को किस–तरह प्राप्त हुई ऐसा कोई तथ्य वाद–पत्र में अंकित नहीं किया गया है। जहां तक वसीयत का प्रश्न है तो वसीयत स्व–अर्जित संपत्ति/मौरूसी होने पर अपने हिस्से तक कि की जा सकती है किन्तु वादी ने अपने उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि उसके पिता को अपने पूर्वाधिकारियों से मिली हो या उनके द्वारा स्व–अर्जित हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है और ना ही अपने वाद–पत्र की संपूर्ण ईबारत में कहीं अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं होना प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तथ्यों से पोषणीय नहीं होकर पोषणीय नहीं होकर विधिसंगत नहीं है जिससे वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति रक्षा पारिक,R.A.S.

प्रकरण संख्याः– 2023/406 राजस्व वाद

अनवान

1. चन्द्रप्रकाश पिता स्व.प्रभुलाल जी जाति सोनी आयु 35 वर्ष निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. देवनारायण पिता स्व.प्रभुलाल जी जाति सोनी आयु वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. सत्यनारायण पिता स्व.प्रभुलाल जी जाति सोनी आयु वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब खमनोर, जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण

वादः– घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादी मय अधिवक्ता श्री सुरेश खटीक एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता ..... पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तथ्यों से पोषणीय नहीं होकर पोषणीय नहीं होकर विधिसंगत नहीं है जिससे वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है।

नीज.....–..... मुबलिज –.....–..... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर –. ....–....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.10.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिलान		मिलान	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द